राजस्व वाद 120/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/221
हरीराम बनाम् रामजीवण वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 120/2021

वादीगण–

1. हरीराम पुत्र तेजाराम
   जातियान–जाट, निवासी–नराधना, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामजीवण पुत्र भुगानाराम
2. श्रीराम पुत्र भुगानाराम
3. बस्तीराम पुत्र भुगानाराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–नराधना, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी वादीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक : 21/6/2022

निर्णय

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा नराधना तहसील जायल में खेत खसरा नंबर 314 रकबा 2.1610 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1022/314 रकबा 1.5216 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी के पिता तेजाराम तथा प्रतिवादीगण के पिता भुगानाराम सगे भाई थे। जिनका दोनों का ही देहान्त हो गया है। प्रतिवादीगण के पिता का देहान्त तो बहुत पहले हो गया था। वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण ने अपने संयुक्त खातेदारी के खेतों का विभाजन जरिये राजस्व वाद संख्या 194/09 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2009 के कर लिया था। इस निर्णय की का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज भी हो गई है। वादी के पिता के हिस्से की जमीन के खसरा नंबर 314 बन गये तथा प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि के खसरा नंबर 1022/314 पड़ गये। तथा इसके बाद वादी के पिता श्री तेजाराम का भी देहान्त हो गया तथा उनके नाम दर्ज भूमिंया वादी के नाम दर्ज हो गई। उपरोक्त वाद बाबत् विभाजन जब पेश किया तो उसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा वादी के पिता सभी वादी थे। वाद पेश करने तथा वाद तैयार करवाने के लिये वादी के पिता ही आये थे जो कि अनपढ आदमी थे तथा नक्शे वगैरह मे ज्यादा नहीं समझते थे। इसलिये बाकी खेतों का बंट तो सही बता

21/6/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

दिया लेकिन खेत खसरा नंबर 314 जो उस समय रकबा 22.15 बीघा था। वो खेत सीधा न होकर तिरछा था यानि उस खेत की कोई भी भुजा सीधी एक दिशा में न होकर तिरछी थी। उस खेत में से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के बंट में पूर्वी भाग 9.08 बीघा रखा था। तथा वादी के पिता के बंट में 13.07 बीघा पश्चिमी भाग रखा था। लेकिन क्यों कि खेत की आकृति तिरछी होने के कारण बंट लिखवाने में पूर्वी की जगह उतरी तथा पश्चिमी की जगह दक्षिणी भाग दावे में लिखवा दिये गये। क्यों कि खेत का आकार ही ऐसा था इस कारण यह गलती हो गई। तथा उसी अनुसार निर्णय तथा डिक्री होकर अमल दरामद भी हो गया। अमल दरामद के बाद वादी के पिता के हिस्से की जमीन के खसरा नंबर 314 पड गये तथा प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि के खसरा नंबर 1022/314 पड़ गये। अब हेक्टर मे जमाबंदी बनने के बाद वादी के नाम खसरा नंबर 314 रकबा 2.1610 हैक्टेयर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि के खसरा नंबर 1022/314 रकबा 1.5216 हैक्टेयर हो गये। इतने दिन तक इस गड़बड़ पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। तथा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने हिस्से की भूमि पर मौका पर सही जगह कास्त कर रहे थे। अभी कुछ महीने पहले वादी ने अपने खेतों पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये खेत का नक्शा पटवारी हल्का से प्राप्त किया तो उसने देखा कि खेतों के नक्शे तो मौके के विपरित है। तब उसने पुराने दावे की नकल वगैरह लेकर दुरूस्ती रेकर्ड के लिये दावा पेश करना आवश्यक हो गया क्यों कि खातेदारी अस्त व्यस्त दर्ज हो गई इसलिये घोषणा खातेदारी के लिए तथा विभाजन के लिए पेश किया जा रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 02.09.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर ईकबाली जबाब पेश किया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हरीराम पुत्र तेजाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम नराधना तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 554 प्रदर्श–1, 371 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब नजरीनक्शानुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 02.09.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 02.09.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा नराधना के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा नराधना के खेत खसरा नंबर 314, 1022/314 के संयुक्त रकबे 1/2–1/2 हिस्से की मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन करने के लिये हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 20.09.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 20.09.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3384 दिनांक 15.05.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी हरीराम, श्रीराम, बस्तीराम, रामजीवण ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान शीशपाल एवं कालुराम तथा भू.अभि.निरीक्षक रोल की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण आराजी हस्तानान्तरण/विनिमय का प्रतीत होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहित में जमा करवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा नराधना के खेत खसरा नंबर 314, 1033/314 की भूमि का पक्षकारान् के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा नराधना के खेत खसरा नंबर 314, 1033/314 की भूमि का पक्षकारान् के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

1. वादी हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नराधना का खेत खसरा नंबर 314 में से 2.1610 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शा एवं मौका अनुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी बस्तीराम पुत्र भुगानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नराधना का खेत खसरा नंबर 1022/314 में से 1.5216 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रकरण आराजी हस्तानान्तरण/विनिमय का प्रतीत होने से नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क अदा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 120/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/221
हरीराम बनाम् रामजीवण वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 120/2021

वादीगण–

1. हरीराम पुत्र तेजाराम
   जातियान–जाट, निवासी–नराधना, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामजीवण पुत्र भुगानाराम
2. श्रीराम पुत्र भुगानाराम
3. बस्तीराम पुत्र भुगानाराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–नराधना, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी वादीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की हाजरी श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा नराधना के खेत खसरा नंबर 314, 1033/314 की भूमि का पक्षकारान् के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

1. वादी हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नराधना का खेत खसरा नंबर 314 में से 2.1610 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शा एवं मौका अनुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी बस्तीराम पुत्र भुगानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नराधना का खेत खसरा नंबर 1022/314 में से 1.5216 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रकरण आराजी हस्तानान्तरण/विनिमय का प्रतीत होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)